

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

डॉ० धर्मन्द्र प्रसाद,
सहायक प्राध्यापक (प्रतिनियुक्त), नेफ्रोलौजी विभाग,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।

विदित हो कि स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-641 (17) दिनांक-29.07.2020 द्वारा आपको पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में सहायक प्राध्यापक, नेफ्रोलौजी विभाग के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था एवं स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-1206 (17) दिनांक-14.12.2022 द्वारा आपके प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए मूल पदस्थापन स्थान पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में योगदान हेतु विरमित करने का निर्देश दिया गया है ।

अतएव उक्त अधिसूचना के निर्देश के अनुपालन में आपको मूल पदस्थापन स्थान पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में योगदान करने हेतु आज दिनांक-23.12.2022 के अप० से विरमित किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आप अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के निदेशानुसार प्रभार सौंपते हुए प्रभार प्रतिवेदन की आठ प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ।

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि आप अपने विभाग, केन्द्रीय भंडार, लेखा शाखा, केन्द्रीय पुस्तकालय एवं ईस्टेट ऑफिसर (आवास संबंधी) से संबंधित No Dues Certificate अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके ।

ह०/-
प्राचार्य

ज्ञापांक:- 912/22

दिनांक:- 23/12/2022

प्रतिलिपि:-

- 1) अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 2) श्रीमति रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 3) प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- 4) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- 5) संबंधित चिकित्सक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 6) Estate Officer/बरसर/लेखापाल/पुस्तकालय सचिव/केन्द्रीय भंडार पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 7) संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 8) महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 9) कॉलेज वेबसाईट ।



प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय

मुजफ्फरपुर

23/12/2022